

प्रेषक,

सचिव,

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू०एस०डी०एम०ए०

देहरादून: दिनांक २४ अप्रैल, 2020

विषय: राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत स्वीकृत मरम्मत एवं पुर्णनिर्माण कार्यों को आरम्भ करवाये जाने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त कृपया पूर्व प्रेषित पत्र संख्या-87/USDMA/837(2020) दिनांक 27 अप्रैल, 2020 का संज्ञान सग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा तालाबंदी की अवधि में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम अनुमन्य निर्माण कार्यों को आरम्भ करवाये जाने का अनुरोध किया गया था।

उक्त के क्रम में आपसे राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत स्वीकृत मरम्मत एवं पुर्णनिर्माण कार्यों को भी गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशों तथा उक्त हेतु निर्धारित मानक प्रचालन कार्यविधियों (एस०ओ०पी०) के अनुरूप यथाशीघ्र आरम्भ करवाये जाने हेतु सम्बन्धितों को निर्देशित किये जाने का अनुरोध है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

प्रेषक,

सचिव,

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त, कुमार्यूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू0एस0डी0एम0ए0

देहरादून: दिनांक २४ अप्रैल, 2020

विषय: राज्य आपदा मोर्चन निधि के अन्तर्गत स्वीकृत मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्यों को आरम्भ करवाये जाने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त कृपया पूर्व प्रेषित पत्र संख्या-८७/USDMA/837(2020) दिनांक 27 अप्रैल, 2020 का संज्ञान सम्बन्धित करने का कष्ट करें जिसके द्वारा तालाबंदी की अवधि में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम अनुमन्य निर्माण कार्यों को आरम्भ करवाये जाने का अनुरोध किया गया था।

उक्त के क्रम में आपसे राज्य आपदा मोर्चन निधि के अन्तर्गत स्वीकृत मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण कार्यों को भी गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशों तथा उक्त हेतु निर्धारित मानक प्रचालन कार्यविधियों (एस0ओ0पी0) के अनुरूप यथाशीघ्र आरम्भ करवाये जाने हेतु सम्बन्धितों को निर्देशित किये जाने का अनुरोध है।

भवदीय,

l.
(अमित्र सिंह नेगी)
सचिव